



कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।
(अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्य सील करने हेतु नोटिस)

पत्रांक : 2225 / वाद सं० सी-0110 / एस-विकासनगर / 2023

दिनांक: 21/07/2023

सेवा में,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
देहरादून।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि विपक्षी श्री कलीम, जमनीपुर तप्पड़, निकट जैन पेट्रोल पम्प, विकासनगर, देहरादून द्वारा उपरोक्त वर्णित स्थल पर लगभग 20 गुणा 30 फिट के क्षेत्रफल के अग्रभाग में दो दुकानों का निर्माण कार्य एवम पृष्ठ भाग पर आवासीय भवन का निर्माण कार्य किया जा रहा है। मौके पर स्वीकृत मानचित्र नहीं दिखाये जाने के कारण उत्तराखण्ड (उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009, की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कारण बताओ एवं स्थल पर अवैध निर्माण कार्य को रोकने हेतु नोटिस निर्गत करते हुये वाद सं० सी-0110 / एस-विकासनगर / 2023 योजित किया गया था। विपक्षी को समय प्रदान किया गया किन्तु अतिथि तक विपक्षी द्वारा कोई संतोषजनक प्रतिउत्तर/शमन मानचित्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त अनाधिकृत/चालाशुदा निर्माण को दिनांक 28.07.2023 को सील किया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार नियत तिथि को सीलिंग की कार्यवाही शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु संबंधित थानाध्यक्ष को पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

संयुक्त सचिव/पीठासीन अधिकारी,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

प्रतिलिपि:-1. जिलाधिकारी महोदय, देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि नियत तिथि को उक्त कार्य को शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु एक मजिस्ट्रेट नियुक्त करने की कृपा करें।

2. पुलिस अधीक्षक, नगर देहरादून को इस आशय से कि नियत तिथि को सील की कार्यवाही सम्पन्न कराने हेतु एक क्षेत्राधिकारी को नियुक्त करते हुये पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध राने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

3. संबंधित थानाध्यक्ष को इस आशय से प्रेषित कि प्राधिकरण स्टाफ के साथ समुचित पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

4. क्षेत्रीय सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता को इस निर्देश के साथ कि नियत तिथि पर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर प्रश्नगत अनाधिकृत निर्माण को सील करने की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

5. नाजिर को इस निर्देश के साथ कि नियत दिनांक को सील से संबंधित समस्त सामग्री संबंधित सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

6. विपक्षी श्री कलीम, जमनीपुर तप्पड़, निकट जैन पेट्रोल पम्प, विकासनगर, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अनाधिकृत निर्माण को उपरोक्त निर्धारित तिथि को सील किया जाना है। अतः नियत तिथि पर उपस्थित रहें एवं स्थल से अपना समस्त समान हटा लें। शेष नियम व शर्तें कार्यालय पत्रांक 1902 दिनांक 07.07.2023 के अनुसार यथावत रहेंगी।



21/7/23

for

संयुक्त सचिव/पीठासीन अधिकारी
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।